...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
19/019	53,188 RTA	नोनपुर	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
भूरा	बनाम	कपोड़ कां०

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22/01/019	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 19/2/019 को पेश हो।	
19/2/19	अभिभाषक गणों की हड़ताल आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 13.3.19 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
13/3/019	अभिभाषको द्वारा आन्दोलन ...पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 3/4/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
3/4/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तलबी हेतु तलबाना पेश करें। वास्ते तलबाना। तलबी पत्रावली दिनांक 8/05/019 को पेश हो।	
8/5/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 12.6.19 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

मु.नं. ....

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
10/11/20	कोरोना संक्रमण ~~अधोहस्ताक्षरकर्ता पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 9-12-20 ......को पेश हो। हस्ताक्षर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
9/12/20	... पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक...18.01.21...को पेश हो। हस्ताक्षर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
18/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। साक्ष्यवादी उपस्थित। साक्ष्यवादी लिए गये। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 3/2/21 को पेश हो।	नि.क्र.
10/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर शाया किया गया। वास्ते विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 01/3/21 को पेश हो।	

निर्णय वइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 19/19
दायरा दिनांक 08.12.2020
निर्णय दिनांक 10.02.2021

उनवान

1. भूरा पुत्र अमरा जाति मीना निवासी नीमथूर तहसील छबडा

..........वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र किशना जाति मीना निवासी नीमथूर तहसील छबडा
2. हेमराज पुत्र किशना जाति मीना निवासी नीमथूर तहसील छबडा
3. धापू पुत्री किशना पत्नि रामबिलास जाति मीना निवासी नीमथूर हाल निवासी नीमथूर तहसील छबडा
4. काली पुत्री किशना पत्नि रंगलाल जाति मीना निवासी नीमथूर हाल निवासी कोलूखेडी तहसील छबडा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.ए.

अभिभाषक वादी– श्री जिनेन्द्र कुमार जैन

प्रतिवादी– Ex PARTY

निर्णय दिनांक 10.02.2021

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद अतंर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. विरूध्द अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम नीमथूर तहसील छबडा में भूमि खसरा नं. 234 रकबा 5 बीघा, ख.नं. 286/1 रकबा 3 बीघा 2बीस्वा, ,ख. नं. 289 रकबा 12 बीस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 14 बीस्वा स्थित है।उपरोक्त कृषि आराजी वादी एवं प्रतिवादी 1ता4 के खातेदारो मे स्थित है। प्रतिवादी 1ता 4 की माता तुलसी बाई का नाम भी खातेदारी मे दर्ज है किन्तु तुलसी बाई का स्वर्गवास हो गया है। जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी 1 ता 4 है। उपरोक्त कृषि आराजी मे वादी का हिस्सा 14/20 है तथा प्रतिवादी 1 व 2 का हिस्सा 3/20 एवं प्रतिवादी 3 व 4 का हिस्सा 3/20 है।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां (राज.)

वादी व प्रतिवादी मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है किन्तु अवसर वादी व प्रतिवादी 1 ता 4 में विभाजन नहीं होने की वजह से अकसर विवाद होता रहता है और वादी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है एवं वादी सुचारू रूप से काश्त भी नहीं कर पा रहा है।

वादी ने प्रतिवादी गण से कई बार मौखिक निवेदन किया उपरोक्त आराजी का हिस्से के अनुसार विभाजन कराकर अपनी–अपनी हिस्से की भूमि को नपवाकर निशान देही करवा ले ताकि हिस्से एवं काश्त को लेकर विवाद न हो। किन्तु प्रतिवादी 1 ता 4 ने वादी के निवेदन पर गौर नहीं किया और न कोई रूची ली। इसलिये वादी के पास बंटवारे का दावा पेश करने के अलाावा अन्य और कोई चारा नहीं है। इस वाद का वाद कारण दिनांक 05.01.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी 1 ता 4 ने बंटवारा कराने व निशानदेही करने तथा पैमाईश कराने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यह तारीख ही इस वाद की बिनाय–मुखसमत करार दी जाती है।वाद बंटवारे का है और कृषि आराजी से सम्बन्धित है तथा उक्त भूमियात ग्राम नीमथूर तहसील छबडा मे स्थित है इसलिये माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने व फैसला करने का पूरा पूरा अधिकार है। इसलिये यह दावा माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जर्ये सम्मन तलव किया गया प्रतिवादीगणों का बाद तामील सम्मन प्राप्त हुए। प्रतिवादी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहे। जिनके विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम नीमथूर के खाता संख्या 14 सम्वत् 2072–75 जमाबंदी पेश गई।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथन में बताया कि ग्राम नीमथूर तहसील छबडा के खाता सं0 14 के खसरा न0 234 रकबा 5.00 बीघा खसरा न0 286/1 रकबा 3.02 बीघा खसरा न0 289 रकबा 0.12 बीघा कुल किता 3 रकबा 8.14 बीघा स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी गणों 1 ता 4 की खातेदारी में स्थित हे। प्रतिवादी 1 ता 4 की माता तुलसी बाई का नाम भी खातेदारी में दर्ज है परन्तु तुलसीबाई का स्वर्गवास हो गया है जिसके कायमुकामान पूर्व से ही रिकार्ड पर है तथा प्रतिवादी 1 ता 4 है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 14/20 तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा 3/20 व 3 और 4 का हिस्सा 3/20 दर्ज रिकार्ड है। वादी प्रतिवादी मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे। किन्तु वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 4 के मध्य बॅटवारा नही होने से अक्सर विवाद की स्थिति पैदा रहती है।

अतः ग्राम नीमथूर को उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 के मध्य बॅटवारा किया जाकर वादी का हिस्सा 14/20 पृथक से खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2072–75 ग्राम नीमथूर तह0 छबडा खाता संख्या 14 खसरा न0 234 रकबा 5.00 बीघा, खसरा न0 281/1 रकबा 3.02 बीघा एवं खसरा न0 289 रकबा 12 बीघा किता 3 रकबा 8.14 बीघा भूमि में वादी का हिस्सा 14/20 दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में वादी का हिस्सा 14/20 पृथक किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बॅटवारा किया जाना न्यायोचित है।

–क्रियात्मक आदेश–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नीमथूर तहसील छबडा की आराजी खाता संख्या 14 खसरा न0 234 रकबा 5.00 बीघा, खसरा न0 281/1 रकबा 3.02 बीघा, एवं खसरा न0 289 रकबा 0.12 बीघा कुल किता 3 रकबा 8.14 बीघा में से वादी का हिस्सा 14/20 पृथक कर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को निर्देश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हों।पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां.)

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

डिक्री

संख्या 19/019	धारा अंतर्गत 53,188 RTA	निर्णय दिनांक 10/2/2021
समक्ष :– द्वारा मनीषा तिवारी उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला-बारां		
उपस्थिति :– अभिभाषक वादी जिनेन्द्र कुमार जैन	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1- भूरा पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी नीमथूर तहसील छबड़ा जिला बारां
वादी

V/S

1- कजोड़ पुत्र किशना 2- हेमराज पुत्र किशना
3- धापूबाई पुत्री किशना 4- काली पुत्री किशना जाति मीणा
निवासी नीमथूर तहसील छबड़ा जिला-बारां
5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबड़ा जिला-बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नीमथूर तहसील छबड़ा की आराजी खाता संख्या 14 ख.न. 234 रकबा 5.00 बीघा ख.न. 281/1 रकबा 3.02 बीघा एवं ख.न. 289 रकबा 0.12 बीघा कुल किता 3 रकबा 8.14 बीघा भूमि में से वादी का हिस्सा 14/20 पृथक कर कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबड़ा को निर्देश दिये जाते है। तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

साथ ही निम्नानुसार.......................रु. का व्ययानुतोष.......................द्वारा.......................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 10/2/2021 को निर्गत किया गया।

(मनीषा तिवारी)
RAS हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		